



Neutral Citation No. - 2026:AHC:175531

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 4666 / 2026

मंगलम वर्मा

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता:

रविकांत शुक्ला, शारिक अहमद

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री शारिक अहमद और प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री नीरज कुमार शर्मा को सुना गया।
2. यह जमानत याचिका, कानपुर नगर जिले के कोतवाली पुलिस थाना में धारा 105 भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज मुकदमा संख्या 278/2025 में, मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कहना है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थी का नाम नहीं है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। घटना कथित तौर पर 24.11.2025 को घटी थी। हैलेट अस्पताल द्वारा संबंधित पुलिस थाना को भेजे गए सूचना ज्ञापन पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया है कि कथित घटना के समय सूचना देने वाले का भाई अत्यधिक नशे में था। प्रथम सूचना रिपोर्ट 01.12.2025 को दर्ज की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है। 26.01.2025 से पहले के कोई भी मेडिकल दस्तावेज मुकदमा विवरणी का हिस्सा नहीं हैं। जांच अधिकारी द्वारा प्राप्त सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपीलार्थी की पहचान की गई थी। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, एक व्यक्ति बस के चालक की सीट पर बैठे व्यक्ति का पैर खींचता हुआ दिखाई दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। इसके बाद पीले कपड़े पहने एक अन्य व्यक्ति चालक की सीट के बगल वाली खिड़की से

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नीचे कूदा, सड़क पर पड़े बस चालक को दोनों हाथों से उठाया और सड़क किनारे घसीटते हुए एक दुकान के सामने फेंक दिया। यह तर्क दिया गया है कि मृतक का पैर खींचने वाले व्यक्ति और चालक को जमीन पर घसीटने वाले दूसरे व्यक्ति की पहचान अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं की गई है। पक्षों के बीच कोई पूर्व शत्रुता नहीं थी। यह घटना अचानक और बिना किसी पूर्वचिंता के घटित हुई। अपीलार्थी को न तो कथित अपराध करने का आवश्यक ज्ञान था और न ही इरादा। अपीलार्थी बी.सी.ए. का छात्र है और इस झूठे मामले के कारण उसका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। अपीलार्थी 28.11.2025 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी का विरोध किया है, लेकिन अभिलेख से उपरोक्त दलीलों का संतोषजनक खंडन नहीं कर सके।

5. पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बात सुनने और अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि अपीलार्थी का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंबित रूप से दर्ज की गई है। 26.01.2025 से पहले के कोई भी चिकित्सा दस्तावेज मुकदमा विवरणी का हिस्सा नहीं हैं। हैलेट अस्पताल की रिपोर्ट के अनुसार, कथित घटना के समय मृतक अत्यधिक नशे में था। मृतक का पैर खींचने वाले व्यक्ति और उसे सड़क किनारे घसीटने वाले दूसरे व्यक्ति की पहचान अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं की गई है। इस स्तर पर यह साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है कि अपीलार्थी को कथित अपराध करने का आवश्यक ज्ञान या इरादा था। अपीलार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी आठ महीने से अधिक समय से हिरासत में है और आरोपपत्र दाखिल होने के बाद मुकदमे के शीघ्र समापन की कोई उम्मीद नहीं है, और राज्य द्वारा ऐसा कोई उचित संदेह नहीं जताया गया है कि यदि अपीलार्थी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा, मुकदमे में देरी करेगा या गवाहों को डराएगा। इसलिए, मामले के गुण दोष पर टिप्पणी किए बिना, मेरा मत है कि अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. उपरोक्त मामले में अपीलार्थी- मंगलम वर्मा को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप एक व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) निचली अदालत द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित हो;

(ii) अभियोजन साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करे; और

(iii) अभियोजन गवाहों पर दबाव न डाले।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा।

(विवेक वर्मा, न्यायमूर्ति)

19 अगस्त, 2026

एसकेटी/-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।